<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>

संख्या एफ 8(144)2011-12/चि. एकक/ एनएमएस/ 51 दिनांकः 21.11.2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: चिकित्सा दावों के सत्यापन तथा अस्पताल के डाक्टर/ चिकित्सा अधीक्षक से अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया खत्म करनी।

कर्मचारियों द्वारा झेली जा रही मुश्किलों तथा अस्पतालों/ डाक्टरों को होने वाली असुविधा को देखते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिनांक 20.2.3009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-18/2005-सीएंडपी (खंड I- पार्ट (i)) के तहत चिकित्सा दावों के सत्यापन तथा अस्पताल के डाक्टर/चिकित्सा अधीक्षक से अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया खत्म कर दी है।

डीडीए में भी स्वास्थ्य मंत्रालय के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने हेतु अभ्यावेदन मिले हैं। इस मामले की जांच की गई थी तथा इसे सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपाध्यक्ष, डीडीए को प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 20.02.2009 के कार्यालय ज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्रालय की तर्ज पर चिकित्सा दावों के सत्यापन तथा अस्पताल के डॉक्टर/ चिकित्सा अधीक्षक से अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया खत्म करने हेतु स्वीकृति प्रदान की दी है। संबद्ध डीडीओ/ प्राधिकारी अब कर्मचारी/पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत प्रिस्क्रिप्शन पर्चियों तथा नैदानिक रिपोर्टों के आधार पर इन दावों की प्रामाणिकता का सत्यापन कर सकते हैं तथा इनकी जांच कर सकते हैं। शंका होने पर संबद्ध प्राधिकारी संबद्ध अस्पताल से हमेशा सत्यापन करवा सकते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि यदि बाद में चिकित्सा दावे/सुविधा का गंभीर दुरूपयोग पाया जाता है तो कर्मचारी/अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा तथा विभागीय जांच का सामना करेगा। पेंशनरों /परिवार पेंशनरों द्वारा दुरूपयोग किए जाने से संबंधित मामलों का परिणाम चिकित्सा सुविधा के निलंबन/वापिस लेने के लिए रूप में निकल सकता है।

ह/-
(मनीश कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी